कृषि निदेशालय, बिहार

आ0 संख्या–6/स्था0अन्य–76/15 /कृ0, पटना, दिनांक , 2016

आदेश

श्री जय किशोर प्रसाद, कृषि समन्वयक (कृषि कार्य मुक्त) पंचायत– भवदेपुर प्रखंड रीगा, सीतामढ़ी को फसल की क्षति के सर्वेक्षण कार्य में लापरवाही, कृषि कार्य में रूची नही लेना, आपदा जैसे सवेदनशील कार्य के निष्पादन में लापरवाही तथा नियोजन के समय प्रस्तुत किये गए एकरारनामा के विरूद्ध कार्य करने के आरोप में जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी के कार्यालय आदेश संख्या–23 दिनांक 02.05.15 को नियोजन समाप्त करते हुए चयन मुक्त किया गया।

2. चयनमुक्त कृषि समन्वयक श्री प्रसाद द्वारा कृषि निदेशक के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया। समर्पित अपील अभ्यावेदन में उल्लेखित किया कि फसल सर्वेक्षण के संबंध में मैने क्षेत्र भ्रमण किया है तथा मेरा कार्य पूर्ण होने की प्रक्रिया में था।

3. फसल क्षति सर्वेक्षण प्रपत्र के कोने में रकवा अंकित करने संबंधी आरोप के बचाव में श्री प्रसाद का कहना है कि किसानो के व्यग्रता को देखते हुए कोने में रकबा अंकित किया परन्तु संधारण हेतु कार्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर को उक्त डाटा उपलब्ध करा दिया गया था। श्री प्रसाद का यह भी कहना है कि बिना कारण पृच्छा किये तथा मेरा पक्ष सुने बगैर नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध चयनमुक्ति का आदेश पारित किया गया है।

4. श्री प्रसाद से प्राप्त अपील अभ्यावेदन की सम्यक रूप में विस्तृत समीक्षा की गयी तथा पाया गया कि इन्होने अपने वास्तविक पदीय दायित्वों एवं कार्यो के अतिरिक्त भी अन्य कार्य किये। उक्त अतिरिक्त कार्य बोझ के कारण इनके द्वारा कतिपय त्रुटियों फसल क्षति प्रतिवेदन में हुई विलंब, वास्तविक रूप से इनकी मंशा कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने का प्रमाणित नहीं पाया गया।

5. कृषि निदेशालय के पत्र संख्या–1133 दिनांक 16.12.15 के प्रसंग मे जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी ने श्री प्रसाद के कार्य को संतोषप्रद पा कर चेतावनी देते हुए इनके अपील अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की अनुशंसा की है।

6. श्री जय किशोर प्रसाद के अपील अभ्यावेदन पर अपीलीय प्राधिकार के रूप में सभी तथ्यो तथा संलग्न साक्ष्यो के आधार पर की गई समीक्षा के आधार पर पाया गया कि इनके कर्त्तव्य में पायी गयी त्रुटियों की तुलना में दिया गया दंड समानुपातिक नहीं है।

अतः श्री प्रसाद द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेखों एवं समर्पित स्पष्टीकरण पर पूर्ण समीक्षोपरान्त आदेश संख्या–23 दिनांक 02.05.15 से दिये गयें दण्डादेश को निरस्त किया जाता है तथा संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को आवेदक को समुचित अवसर प्रदान कर गुण–दोष के आधार पर सुनवाई कर समुचित आदेश पारित करने हेतु Remand किया जाता है।

ह0/–
(बी0 कार्तिकेय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 255 कृ0, पटना, दिनांक– 21.03. 2016

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/संबंधित संयुक्त कृषि निदेशक/ जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी/प्रखंड विकास पदाधिकारी, रीगा, सीतामढ़ी/ प्रखंड कृषि पदाधिकारी, रीगा, सीतामढ़ी/श्री जय किशोर प्रसाद, कृषि समन्वयक (कृषि कार्य मुक्त) पंचायत भवदेपुर, प्रखंड रींगा, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

21.03.16

...06\Order 2016\10.03.2016 (order).doc